

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

गिराफेस संख्या -47/2024-25

की गई
कार्रवाई

तैयारी

आदेश फलक

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र अंचलाधिकारी पोटका के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्तें दिद्यमान हैं:-

1. दाता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग (occupancy) रैयत है।
2. दाता और ग्रहिता दोनों ही अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। (जाति प्रमाण पत्र संलग्न)
3. ग्रहिता एवं दाता दोनों ही एक ही थाना के निवासी हैं, जिस थाना के क्षेत्राधिकार में प्रसंगाधीन जमीन अवस्थित है। (निवास प्रमाण पत्र संलग्न)
4. प्रस्तावित अन्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी विक्रेता/दाता :- 1) खंक्कु सरदार, 2) महेन्द्र सरदार, 3) नीलमोहन सरदार, तीनों के पिता-शत्रुघन सरदार, जाति-भूमिज, ग्राम-पिछली, थाना-पोटका, अंचल-पोटका, जिला-पूर्वी सिंहभूम, को मूल्य-1,50,000/-रुपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो है अधिक है, की दर से क्रेता :-लोसरो बानसिंह, पिता-दासा बानसिंह, जाति-हो, ग्राम-पोड़भूमरी, थाना-पोटका, अंचल-पोटका, जिला-पूर्वी सिंहभूम, के नाम विक्री हेतु निम्नांकित जमीन का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

निम्नांकित जमीन का ब्यापार निम्न प्रकार है				
मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
पिछली	1315	271	1125	6 डी०
			1126	9 डी०
			कुल— 15 डी०	
की सर्वानमति दी जाती है।				

के प्रस्तावित अन्तरण की पूर्वानुमति दी जाती है।

लेखापित

11/01/25
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धालभूम, जमशेदपुर।